

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3067  
जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है  
राज्यीय मार्गों का उन्नयन

†3067. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 13,065 किलोमीटर राज्यीय मार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) में उन्नयन किए जाने संबंधी मानदंड क्या हैं और प्रत्येक राज्य में 2014 से 2024 तक वर्षवार कितने किलोमीटर मार्ग उन्नयन किए गए हैं;
- (ख) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के कन्वर्जन में आंध्र प्रदेश को दिए गए असमानुपातिक पक्षपात को उचित ठहराती है, जबकि कई पिछड़े और सीमावर्ती राज्य लगातार अल्प निवेश से जूझ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य योजनाओं के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यवार आवंटित कुल बजट/उपयोग की गई निधि कितनी है;
- (घ) राज्यीय मार्गों के कन्वर्जन के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटित निधि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है और वर्तमान निधि उपयोग की स्थिति क्या है; और
- (ङ) क्या इन राष्ट्रीय राजमार्ग कन्वर्जन से संबंधित कोई अंतर-मंत्रालयी समितियां जांच के लिए गठित की गई हैं और यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट का व्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उन पर की-गई-कार्रवाई का व्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) राज्य राजमार्गों (एसएच) सहित राज्यीय सड़कों को समय-समय पर सुस्थापित व्यापक सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोषित किया जाता है, जिनमें शामिल हैं: -

- i. निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानियों को राज्य की राजधानियों/ राज्य की परस्पर राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा विकास के लिए चिन्हित पत्तन, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों को परस्पर जोड़ने वाली सड़कें।
- ii. पहाड़ी और अलग-थलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामरिक महत्व वाली सड़कें।
- iii. मुख्य सड़कें जो यात्रा की दूरी को कम करने और पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल करने में सक्षम बनाती हैं।

- iv. सङ्कें जो पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के बड़े भूभागों से जुड़ने में मदद करती हैं।
- v. प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ अनुरूप सङ्कें।

सरकार को समय-समय पर आंध्र प्रदेश राज्य के साथ-साथ पिछड़े और सीमावर्ती राज्यों सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य की सङ्कें को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित/उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य के साथ-साथ पिछड़े और सीमावर्ती राज्यों सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में अधिसूचित ग्रीनफील्ड खंडों सहित राज्य सङ्कें का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-। में दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य यातायात घनत्व, संपर्कता की आवश्यकता, सङ्क की स्थिति, परस्पर प्राथमिकता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के साथ तालमेल के आधार पर किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को जारी की गई निधि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-॥ में दिया गया है।

अनुबंध-।

राज्यीय मार्गों का उन्नयन के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3067 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य के साथ-साथ पिछड़े और सीमावर्ती राज्यों सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में अधिसूचित ग्रीनफील्ड खंडों सहित राज्य सङ्करों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण : -

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	लंबाई किमी में										
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	80	669	927	412	501	0	846	447	481	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	733	0	0	0	0	0	0	0	1,748	82	0
3	असम	76	18	38	0	0	0	97	71	0	0	0
4	बिहार	164	160	0	29	481	0	413	169	0	162	24
5	छत्तीसगढ़	0	0	162	291	15	0	15	0	0	0	0
6	दिल्ली	0	0	-11	10	87	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	31	0	0	6	0	0	0	0
8	गुजरात	978	0	46	729	585	265	844	141	0	214	12
9	हरियाणा	185	395	-74	165	378	0	71	23	132	0	-44
10	हिमाचल प्रदेश	70	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	जम्मू और कश्मीर	274	8	0	0	96	0	0	55	124	59	0
12	झारखण्ड	11	0	0	0	682	0	26	37	0	203	0
13	कर्नाटक	138	70	260	795	132	0	77	229	461	69	0
14	केरल	0	0	0	21	0	0	0	0	76	0	0
15	मध्य प्रदेश	0	9	2,660	271	493	0	178	121	93	0	113
16	महाराष्ट्र	734	387	8,022	2,345	0	174	265	122	142	-13	16
17	मणिपुर	255	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0
18	मिजोरम	245	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0
19	नागालैंड	106	0	49	0	0	0	0	123	0	0	0

लंबाई किमी में												
क्र. स.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
20	ओडिशा	0	193	0	576	331	0	136	0	0	0	0
21	पंजाब	233	530	0	569	5	50	775	140	0	0	24
22	राजस्थान	80	20	0	1,041	1,426	0	8	127	230	0	27
23	सिक्किम	170	154	0	0	0	0	246	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	0	0	1,844	0	0	117	0	142	0	0
25	त्रिपुरा	0	233	1	0	0	0	0	0	35	0	0
26	तेलंगाना	0	119	751	526	0	0	469	661	0	0	0
27	उत्तराखण्ड	432	0	0	0	12	0	463	240	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	620	-45	131	2,733	360	0	94	414	54	12	-19
29	पश्चिम बंगाल	0	46	0	7	591	0	0	9	0	23	0
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0

नोट: पुनर्सेखण/बाईपास निर्माण/लंबाई को अधिसूचित न करने आदि के कारण कृण आंकड़े।

राज्यीय मार्गों का उन्नयन के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3067 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनएचएआई को जारी की गई निधि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण: -

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि करोड़ रूपयों में									
		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	4,28 1	4,28 1	5,89 0	5,89 0	6,95 7	6,95 7	11,4 40	11,4 40	11,7 77	11,7 56
2	अरुणाचल प्रदेश	2,51 2	2,51 2	2,71 8	2,71 8	3,14 0	3,14 0	2,64 9	2,64 9	3,97 2	3,59 9
3	असम	3,75 3	3,75 3	3,15 0	3,15 0	4,55 7	4,55 7	9,13 7	9,13 7	7,20 9	7,20 7
4	बिहार	6,71 6	6,71 6	9,17 4	9,17 4	9,34 7	9,34 7	10,7 49	10,7 49	8,84 0	8,84 0
5	छत्तीसगढ़	2,22 4	2,22 4	1,93 6	1,93 6	2,46 8	2,46 8	4,25 5	4,25 5	2,39 2	2,28 0
6	गोवा	734	734	615	615	673	673	620	620	851	651
7	गुजरात	7,53 3	7,53 3	10,7 10	10,7 10	9,83 1	9,83 1	10,9 00	10,9 00	8,26 2	8,09 1
8	हरियाणा	10,6 51	10,6 51	7,20 3	7,20 3	3,92 4	3,92 4	6,06 2	6,06 2	4,39 1	4,34 4
9	हिमाचल प्रदेश	2,03 3	2,03 3	3,16 4	3,16 4	4,53 4	4,53 4	5,17 5	5,17 5	3,99 8	3,99 4
10	झारखण्ड	2,62 7	2,62 7	2,85 3	2,85 3	3,12 7	3,12 7	4,59 9	4,59 9	5,33 4	5,16 9
11	कर्नाटक	5,83 8	5,83 8	7,68 1	7,68 1	6,76 3	6,76 3	12,6 95	12,6 95	11,1 47	10,8 19
12	केरल	12,8 31	12,8 31	10,1 36	10,1 36	3,99 4	3,99 4	10,4 19	10,4 19	5,10 0	5,08 2
13	मध्य प्रदेश	8,25	8,25	9,00	9,00	6,21	6,21	7,44	7,44	7,81	7,79

राशि करोड़ रूपयों में											
क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		0	0	6	6	0	0	7	7	9	9
14	महाराष्ट्र	20,8 44	20,8 44	18,6 55	18,6 55	18,3 55	18,3 55	19,8 67	19,8 67	18,6 97	18,5 12
15	मणिपुर	978	978	2,14 2	2,14 2	2,73 7	2,73 7	2,59 8	2,59 8	2,01 8	2,01 1
16	मेघालय	861	861	819	819	684	684	1,80 3	1,80 3	1,83 5	1,69 7
17	मिजोरम	1,23 8	1,23 8	2,05 4	2,05 4	3,21 8	3,21 8	2,18 9	2,18 9	2,11 4	2,09 1
18	नागालैंड	2,38 2	2,38 2	1,94 3	1,94 3	1,66 6	1,66 6	1,41 4	1,41 4	1,68 1	1,60 0
19	ओडिशा	5,33 6	5,33 6	4,51 0	4,51 0	4,64 3	4,64 3	5,94 8	5,94 8	6,12 1	5,78 6
20	पंजाब	3,30 1	3,30 1	7,17 9	7,17 9	10,0 93	10,0 93	12,4 19	12,4 19	8,13 7	7,89 8
21	राजस्थान	7,34 0	7,34 0	11,3 53	11,3 53	9,71 9	9,71 9	8,87 4	8,87 4	6,33 0	6,30 1
22	सिक्किम	1,05 3	1,05 3	811	811	1,00 8	1,00 8	684	684	473	441
23	तमिलनाडु	4,86 8	4,86 8	4,30 5	4,30 5	8,23 0	8,23 0	9,92 5	9,92 5	9,07 7	9,06 8
24	तेलंगाना	2,90 7	2,90 7	3,45 8	3,45 8	3,62 2	3,62 2	6,11 7	6,11 7	7,56 4	7,49 6
25	त्रिपुरा	1,02 6	1,02 6	1,08 5	1,08 5	1,15 6	1,15 6	1,54 6	1,54 6	778	767
26	उत्तर प्रदेश	18,7 68	18,7 68	13,9 44	13,9 44	21,4 53	21,4 53	28,1 14	28,1 14	20,6 82	20,6 65
27	उत्तराखण्ड	2,80 0	2,80 0	2,11 2	2,11 2	3,21 9	3,21 9	4,54 5	4,54 5	3,99 6	3,83 5
28	पश्चिम बंगाल	2,65 8	2,65 8	3,64 2	3,64 2	3,05 3	3,05 3	3,54 3	3,54 3	2,24 1	2,24 0
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	349	349	246	246	143	143	96	96	204	204

राशि करोड़ रूपयों में										
क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25
30	चंडीगढ़	2	2	6	6	1	1	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	43	43	30	30	26	26	2	2	100
32	दमन और दीव									46
33	दिल्ली / मुख्यालय	- 1,48 2	- 1,48 2	3,96 1	3,96 1	7,16 4	7,16 4	3,22 3	3,22 3	2,84 0
34	जम्मू और कश्मीर	2,93 2	2,93 2	6,81 7	6,81 7	7,37 0	7,37 0	10,5 28	10,5 28	10,3 31
35	लद्दाख	24	24	352	352	574	574	658	658	794
36	पुदुचेरी	21	21	1	1	61	61	35	35	29
										23

आवंटन - आबंटन; व्यय - व्यय

वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ऋण आंकड़े उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को परियोजना/व्यय के हस्तांतरण को दर्शाते हैं।

\*\*\*\*\*